रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1076] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 16, 2014/वैशाख 26, 1936
No. 1076] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 16, 2014/VAISAKHA 26, 1936

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग(

नई दिल्ली,,मई 15 2014

अधिसूचना

का.आ. 1295(अ(.—जबकि भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् (निर्वाचन(नियम,1975 के नियम 23 के साथ पठित भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 3 की उपधारा- (1) के खंड (ख(के अनुसरण में, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू (तवी), जम्मू व कश्मीर की आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के एक सदस्य को उक्त विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय के सदस्यों द्वारा अपने बीच से निर्वाचित किया गया है;

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा- (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार अब भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड- (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की दिनांक 21 अगस्त, 1971 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3259 में निम्नांकित और संशोधन करती है, अर्थात्: —

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, "धारा **3** की उपधारा- **(1)** के खंड (ख(के अधीन निर्वाचित" शीर्षक के अधीन, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : —

विश्वविद्यालय का नाम	सदस्य का विवरण	चिकित्सा पद्धति	संकाय में सदस्यता की वैध अवधि
(1)	(2)	(3)	)4(
जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू	डॉनितिन महाजन ., जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड रिसर्च, नर्दनी रायपुर (बनतालाब रोड) -जम्मू181123 (र व कश्मीजम्मू)	आयुर्वेद	26 अक्तूबर, से 2013 4 सितम्बर, 201तक 5, अर्थात वह तिथि जब वह जम्मू विश्वविद्यालय की दिनांक 25.9.की 2012 .अधिसूचना सं12/जन/रसितम्ब /83 द्वारा आयुर्वेद संकाय, जम्मू विश्वविद्यालय, बाबासाहेब अम्बेडकर रोड, नया विश्वविद्यालय परिसर, जम्मू -(तवी)180006 के सदस्य नहीं रह जाते हैं।

[सं. ए.11019/36/11-आरडी/सीसीआईएम विश्वविद्यालय निर्वाचन]

राज प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना संख्यांक का .आ.3259, तारीख अगस्त 21, द्वारा 1971 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड- (ii) में प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का .आ.277 तारीख जनवरी 28,द्वारा किया गया। 2014

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15 May, 2014

S.O. 1295(E).—Whereas in pursuance of clause (b) sub-section (1) of section 3 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) read with the rule 23 of the Indian Medicine Central Council (Election) Rules, 1975, one member from Ayurveda System of Medicine, University of Jammu, Jammu (Tawi), Jammu and Kashmir has been elected from amongst themselves by the members of Ayurveda faculty of the said University.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 3259 dated the 21st August, 1971 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3,sub-secion(ii), namely:—

In the said notification, under the heading "Elected under clause (b) of sub-section (1) of section 3", in the Table, for the entries relating to Jammu University, Jammu, the following entries shall be substituted, namely:—

Name of the University	Particulars of the member	System of Medicine	Valid term of Membership in the Faculty
(1)	(2)	(3)	(4)
University of Jammu, Jammu	Dr. Nitin Mahajan, Jammu Institute of Ayurveda and Research, Nardni Raipur (Bantalab Road), Jammu-181123 (Jammu and Kashmir)	Ayurveda	With effect from 26th day of October, 2013 to 4th day of September, 2015 , i.e. the date on which he ceases to be a member of the faculty of Ayurveda of University of Jammu, Babasaheb Ambedkar Road, New University Campus, Jammu(Tawi)-180006, *vide* University of Jammu notification number 12/September/Gen/83 dated 25.09.2012."

[No. A.11019/36/11-RD/CCIM University Election]

RAJ PRATAP SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-secion (ii) *vide* number S.O, 3259 dated the 21st August,1971 and lastly amended *vide* notification number S.O. 277 dated 28th January, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.